प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022
प्र0सू0रि0 सं. 72/2022 दिनांक 5/3/2022

2. (I) अधिनियमः–धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम ..... धारायें
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

3 रोजनामचा आम रपट संख्या .....105..... समय .....8:05 P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–शुक्रवार दिनांक 04.03.2022 समय 10.05 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....21.02.2022.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित

5. घटनास्थलः– यूएनओ, यूनिक निक्स आउटलेट कैफे, एसएफएस चौराहा, बीटूबाईपास, जयपुर।
(अ पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– 9 कि0मी0 पश्चिम
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम– श्री चेतन प्रकाश नानकानी
(ब) पिता/पति का नाम– वासुदेव नानकानी
(स) जन्म तिथी– 31 साल
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय–
(ल) पता– मकान नम्बर 119, नीलकण्ठ बालाजी इन्द्रा मार्केट, चाकसू, जयपुर हाल
निवासी मकान नम्बर 103/17 सेक्टर 10, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी **श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण** संगठन, सेठी कोलोनी, **जयपुर**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–5,000/– रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 21.02.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में तलब कर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री चेतनप्रकाश नानकानी पुत्र श्री वासुदेव नानकानी उम्र 31 साल निवासी मकान नम्बर 119, नीलकण्ठ बालाजी, इन्द्रा बाजार, चाकसू, जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 103/17 सेक्टर 10, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर के रूप में करवाकर उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित आदेश कर आवश्यक निर्देश प्रदान कर प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के बारे में निर्देश दिये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री चेतनप्रकाश को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी श्री चेतनप्रकाश नानकानी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मेरी सर्वानन्द फार्मा SHOP. NO. 12 shiv kripa house film Colony Nataniyon ka Rasta Jaipur में स्वयं का मेडिकल स्टोर है और C.MADHAV PHARMA के नाम से मेरे साले HEMANT KUMAR Trilokani की मेडि. स्टोर है जो भी मेरे मेडि. स्टोर के पास है सी0 माधव का A&B एरिया श्रीमती Sindhu Kumari औषधि नियंत्रक अधि. के निरिक्षण एरिया आता है सी0 माधव के निरिक्षण हेतू

श्रीमती सीन्धू कूमारी औषधि नियंत्रक ने अपने मो0नं0 9602348577 से मेरे मो0नं0 9887897998 पर दिनांक 16/2/22 को WHATHAPP CoLL कर मूझसे सी0 माधव के निरिक्षण नहीं करने एवं बिना निरिक्षण किये सही रिपोर्ट बनाने एवज में मूझसे 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है मै श्रीमती सिन्धू कूमारी को सी0 माधव फार्मा के निरिक्षण रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता हू उसे रिश्वत लेते रंगो हाथो पकडवाना चाहता हू मेरी श्रीमती सिन्धू कूमारी से कोई आपसी रंजीस व लेन–देन नही है। श्रीमती सिन्धू कूमारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।'' तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा परिवादी ने मज़ीद दरियाफ्त पर बताया कि उक्त रिपार्ट मेरे द्वारा स्वयं हस्तलिखित है। सर्वानन्द फार्मा SHOP. NO. 12 shiv kripa house film Colony Nataniyon ka Rasta Jaipur मेरा स्वयं का मेडिकल स्टोर है। जो मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है। मेरे मेडिकल के पास में ही मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी का मेडीकल स्टोर है। जिसका नाम सी. माधव फार्मा है। जो मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं मेरे मेडिकल के साथ–साथ मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के सी. माधव फार्मा से सम्बधित कार्य जैसे सेल टेक्स, इनकम टेक्स, ड्रग्स आदि कार्य भी देखता हूं। हमारे मेडिकल का वर्ष में एक या दो बार छः–छः महिने में औषधि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी का मेडिकल सी. माधव फार्मा श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी के क्षैत्राधिकार में आता है। मेडिकल स्टोर का अल्फाबेट के आधार पर क्षेत्र बंटा हुआ है। मेरा मेडिकल उनके अधिकार क्षैत्र में नहीं आता। इसलिये सी माधव फार्मा का वर्ष 2022 का निरीक्षण श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जाना है। उक्त सी माधव फार्मा के निरीक्षण करने के लिये श्रीमती सिन्धु कुमारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9602348577 से मेरे मोबाईल नम्बर 9887897998 पर व्हाट्स एप्प के जरिये कॉल कर मुझसे सी. माधव फार्मा का मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करने तथा बिना निरीक्षण किये ही सही रिपोर्ट बनाने की एवज में 10,000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर रही है। मैं संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजीश नहीं है तथा न ही उनसे मेरा कोई लेन–देन बकाया है। तत्पश्चात परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कमारी औषधि नियत्रंक अधिकारी द्वारा अपनें मोबाईल फोन पर किये गये व्हाटस एप्प कॉल के स्क्रीन शॉट की प्रतियां स्वयं के हस्ताक्षरशुदा पेश की एवं परिवादी श्री चेतनप्रकाश ने सी. माधव फार्मा के रजिस्ट्रेशन/ लाईसेन्स सम्बंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की। जिसके सम्बंध में परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि फार्म नम्बर 20 बी तथा 21 बी की सत्यापित प्रति है। यह दोनों सी. माधव फार्मा के ड्रग लाईसेंस है जो मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के नाम से वर्ष 2019 से रजिस्टर्ड है। परिवादी ने यह भी बताया कि संदिग्ध अधिकारी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि सी. माधव फार्मा के ऑनर श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी है तथा मैं उक्त फार्मा का वितरण आदि अतिरिक्त कार्य देखता हूं। परिवादी ने बताया कि निरीक्षण के लिये विभाग की तरफ से कोई गाईडलाईन व समय सीमा नहीं है। कभी तो वर्ष में एक बार या कभी छः महिने में निरीक्षण करते है। कभी कभार अनियमितता पाई जाने पर शिकायत पर विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी सिन्धु कुमारी द्वारा सी. माधव फार्मा का जून से दिसम्बर 2021 का निरीक्षण पूर्व में किया जा चुका है। अभी माह जनवरी से जून 2022 के निरीक्षण के लिये मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करने तथा बिना निरीक्षण किये निरीक्षण रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रही है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा कार्यालय से एक खाली मेमोरी कोर्ड मंगवाया जाकर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री रमजान अली कानि0 466 को परिवादी से सम्पर्क करवाकर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 22.02.2022 को कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 को परिवादी के साथ भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा परिवादी श्री चेतनप्रकाश से सी–माधव फार्मा मेडिकल का मौके पर जाकर निरीक्षण किये बिना सही रिपोर्ट तैयार करने की एवज में 15,000/– रूपये कर रिश्वत की मांग करना तथा दौराने सत्यापन ही परिवादी से 5,000/– रूपये की रिश्वत प्राप्त किया जाना सत्यापित हुआ। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्रीमती सिन्धु कुमारी से मेरा जरिये दूरभाष सम्पर्क होने पर ही बता पाउंगा कि सिंधु

कुमारी मुझसे शेष रिश्वत राशि कब और कहा प्राप्त करेंगी। इस पर परिवादी को मन निरीक्षक पुलिस ने हिदायत दी कि जैसे ही संदिग्ध आरोपिया से सम्पर्क हो तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें तथा परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाई रखने तथा आरोपिया द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त प्रभाव से सूचित करने की आवश्यक हिदायत मामूर की गई।

दिनांक 25.02.2022 को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोहन कुमार पुत्र स्व0 श्री किशोरी प्रसाद जाति कहार उम्र 53 साल निवासी वार्ड नम्बर 60, छोटी बाजार, मोगलपुरा, पटनासिटी, पटना 800008, हाल मकान नम्बर 38–40ए, झालाना फेज तृतीय, रॉयल्टी मार्ग, जयपुर (किराये से) हाल प्रवर श्रैणी लिपिक कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षैत्र, जयपुर एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद माचरा पुत्र श्री रामप्रताप माचरा जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर पुलिस थाना सांडवा जिला चुरू हाल सरकारी क्वार्टर 22/3, जीएसआई कॉलोनी, जयपुर हाल प्रवर श्रैणी लिपिक कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षैत्र, जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री चेतनप्रकाश से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी व आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कुमारी के मध्य दिनांक 22.02.2022 को हुई वार्ता, जो विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर (मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे) में रिकॉर्ड है दोनों गवाहान एवं परिवादी को उक्त रिकॉर्ड वार्ताऐं सुनाई जाकर फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय हुई उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सीलडमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनने तथा फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का अवलोकन करने से आरोपिया द्वारा परिवादी से मेडिकल सी–माधव फार्मा का निरीक्षण किये बिना सही रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि दोनों की निम्नांकित वार्ता से होती है– जिसमें परिवादी चेतन – मैंने कहा जल्दी याद कर लिया मेरे को तो ऐसा लगा, सिन्धु कुमारी – पिछला छः महिना जून टू दिसम्बर, जनवरी टू जून ऐसे देने वाला भूल जाता हैं, चेतन :– क्या सेवा करे, सिन्धु कुमारी – करो जो करते हो (हंसते हुए), चेतन :– जो आप बोलो, सिन्धु कुमारी :– फिफ्टीन सी. माधव मतलब फिफ्टीन, चेतन : फिफ्टीन, सिंन्धु कुमारी – हां, चेतन :– पन्द्रह हजार तो बहुत ज्यादा हैं, सिन्धु कुमारी :– नहीं कहां ज्यादा है, इत्यादि। दिनांक 03.03.2022 को परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया तथा अवगत कराया कि अभी तक आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी ने शेष रिश्वत राशि के लिये मुझसे सम्पर्क नहीं किया है। मैं कल उनसे सम्पर्क करूंगा तो सम्भव है कि वह मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में शेष रही रिश्वत राशि प्राप्त करेगी। जिस पर परिवादी को दिनांक 04.03.2022 को आरोपिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत की गई। कार्यालय स्टाफ तथा स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 04.03.2022 को समय 08:30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 08:30 एएम पर तलबिदा परिवादी श्री चेतनप्रकाश तथा स्वतंत्र गवाहान मोहन कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद माचरा तथा कार्यालय स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आये। इसके पश्चात कार्यालय में उपस्थित कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह नं0 365 को तलब कर परिवादी एवं गवाहान से परिचय करवाया गया, तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चेतनप्रकाश को स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपिया श्रीमती सिंधु कुमारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा आरोपिया सिन्धु कुमारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000/– रूपयों (भारतीय चलन मुद्रा के) रिश्वती नोटो के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	5HT	610076
2.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	7VB	590809
3.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	5NC	038715
4.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	1DR	849260

5.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	5VB	503625
6.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	3SF	738260
7.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	1KG	909080
8.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	0AH	469283
9.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	3SR	281905
10.	एक नोट पांच सौ रू. का नोट नम्बरी	8QK	262987

उक्त नम्बरी नोटों पर कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह नं0 365 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत आरोपिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। इसके पश्चात उपरोक्त मौतविरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर परिवादी को आरोपिया से सम्पर्क करने की हिदायत करने पर परिवादी द्वारा आरोपिया से जरिये दूरभाष संपर्क किया गया तो आरोपिया द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि अभी आरोपिया ने अपने मोबाईल नम्बर 9602348577 से मेरे मोबाईल पर व्हाटसअप कॉल कर मुझे रिश्वत राशि लेकर बी 2 बाईपास आने के लिये कहा है। चूंकि आरोपिया ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर बी 2 बाईपास बुलाया है, तथा आरोपिया परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करेगी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चेतन प्रकाश को बाद हिदायत उसकी स्वंय की कार आर जे 14 एनसी 1153 से बीटू बाईपास के लिये रवाना किया। परिवादी की कार के पीछे श्री रमजान कानि 466 मय श्री कमलेश कानि 293 व श्री शिव सिंह उप निरीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष कानि 465 को अलग अलग मोटरसाईकिलों पर परिवादी की गाडी पर नजर रखते हुये रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त मौतबिरान, परिवादी श्री चेतन प्रकाश मय श्री कमलनयन पुलिस उप अधीक्षक मय श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक, श्री दिलावर कानि. 246, श्री पन्ना लाल, कानि. 09, श्री विनोद कुमार कानि. 242 श्री धर्म सिंह 249, श्री अमित ढाका कानि. 489, श्रीमती सन्तोष टेलर महिला कानि0 226, श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय लेपटॉप,प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी वाहन आर जे 14 यूसी 8799 मय चालक श्री जितेन्द्र कानि0 चालक के ब्यूरो मुख्यालय से समय 09:00 एएम पर रवाना होकर समय 09:25 एएम पर एसएफएस चौराहा बीटू बाईपास पहुंचे। जहां पर वाहनों को गली में साईड में खडा करवाया गया तो परिवाादी श्री चेतन प्रकाश ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने मुझे व्हाट्स एप्प कॉल कर अब क्योरवेल होस्पीटल के सामने उक्त रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। उक्त स्थान यहां पर नजदीक ही है। जिस पर परिवादी श्री चेतन प्रकाश को संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने की हिदायत कर उसकी कार से संदिग्ध अधिकारी के पास रवाना किया गया। परिवादी के पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान जाब्ता भी पैदल–पैदल रवाना हुये। तत्पश्चात परिवादी ने अपनी कार को यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के सामने की तरफ रोक दिया, मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान भी अपनी अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये यूनिक निक्स आउटलेट कैफे से कुछ दुरी बनाकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मूकीम हुये। परिवादी अपनी कार से निकलकर बाहर संदिग्ध अधिकारी की तलाश करने लगा तो यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के बाहर खडी एक महिला ने परिवादी श्री चेतनप्रकाश की तरफ हाथ से इशारा करते हुये श्री चेतनप्रकाश को यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के पास बुलाने लगी, जिस पर परिवादी उक्त महिला के ईशारेअनुसार यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के पास जाकर महिला से बाते करने लगा तथा महिला के साथ –साथ यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में जाकर बैठकर बातें करने लगे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ता भी यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के आस–पास उपस्थित रहकर परिवादी की निगरानी रखते हुये परिवादी को पूर्व में बताये इशारे के इंतजार में मूकीम हुये। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री चेतनप्रकाश उक्त महिला के साथ यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के बाहर निकलते हुये पूर्व में बताये अनुसांर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंची, जिस पर परिवादी ने अपने साथ खडी महिला की ओर इशारा कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यह ही श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी है जिन्होंने अभी मेरे साले श्री हेमन्त त्रिलोकानी

की मेडीकल सी माधव फार्मा की सही निरीक्षण रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के अनुशरण में 5,000/–रूपये की रिश्वत की मांग करने पर मैंने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि निकाल कर श्रीमती सिन्धु कुमारी को देने लगा तो श्रीमती सिन्धु कुमारी ने अपने हाथ में रखी राईटिंग पेड डायरी को खोलकर रिश्वत राशि उक्त राईटिंग पेड डायरी में रखकर देने हेतु कहा जिस पर मैंने श्रीमती सिन्धु कुमारी के कहे अनुसार उक्त राईटिंग पेड डायरी में रिश्वती राशि रख दी। तत्पश्चात श्रीमती सिन्धु कुमारी ने उक्त राईटिंग पेड डायरी को रिश्वती राशि सहित बन्द कर अपने पास रख लिया जो अभी उनके हाथ में ही है। परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी के पास खडी उक्त महिला को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये नाम पता पूछा तो उक्त महिला ने अपना नाम श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण, उम्र 39 साल, निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण संगठन, सेठी कोलोनी, जयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी को अपने आने का प्रयोजन बताते हुये परिवादी श्री चेतन प्रकाश से अभी अभी ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी ने पहले तो परिवादी से किसी प्रकार की रिश्वत लेने से साफ तौर पर ईन्कार किया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी को तसल्ली पूर्वक पूछा तो संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी ने बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है श्री चेतन प्रकाश ने ही मेरी राईटिंग पेड डायरी में पैसे रखे है जिनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। चूंकि परिवादी ने बताया है कि संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिंन्धु कुमारी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में नहीं लेकर परिवादी से ही अपनी राईटिंग पेड डायरी में रखवाई गई है। अतः संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिंन्धु कुमारी द्वारा रिश्वत राशि हाथ में नहीं लेने के कारण संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी के हाथों का धोवन नहीं लिया गया तथा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी के हाथ में रखी राईटिंग पेड डायरी की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो उक्त राईटिंग पेड डायरी में 500–500 रूपये के नोट बरामद हुये, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र प्रसाद माचरा से गिनवाया गया तो उक्त 500–500 रूपये के कुल 10 नोट होकर कुल 5000/– रूपये बरामद होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कुमारी, औषधी नियंत्रण अधिकारी की राईटिंग पेड डायरी में आरोपिया के कब्जे से बरामदशुदा रिश्वती राशि 5,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपिया की राईटिंग पेड डायरी जिस पर सancast, writing pad, जिसमें रिश्वती राशि बरामद हुई, का प्रकियानुसार एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क D–1 एवं D–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का ' C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपिया के कब्जे से बरामद सancast, writing pad पर स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र प्रसाद माचरा से डायरी के समस्त पृष्ठों पर नम्बर अंकित करवाये गये। तत्पश्चात स्तवंत्र गवाहान ने बताया कि उक्त राईटिंग पेड डायरी के पृष्ठ संख्या 07–08 के बीच में से रिश्वत राशि बरामद हुई है। आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कुमारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि स्वयं की उक्त राईटिंग पेड डायरी में रखवाकर प्राप्त करना पाया गया है अतः उक्त राईटिंग पेड डायरी प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से स्वतंत्र गवाहान के राईटिंग पेड डायरी के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर उक्त राईटिंग पेड डायरी को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कुमारी के हाथ में एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी, मॉडल नम्बर 9 प्रो, जिसके आईएमईआई नम्बर 869388057154451, 869388057154444 है। जिसमें वोडाफोन की सिम नम्बर 9602348577, दूसरी सिम नम्बर 7850987178 जीयो कम्पनी की लगी हुई है। उक्त मोबाईल फोन के जरिये आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि के सम्बंध में कई बार जरिये कॉल/व्हाटस एप्प कॉल वार्ता की गई, जिस का उक्त मोबाईल प्रकरण की विषय वस्तु से सम्बंधित होने के कारण आरोपिया के उक्त

मोबाईल फोन को प्रकरण में बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर मोबाईल को एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का 'M' अंकित किया गया। आरोपिया श्रीमती सिंधु कुमारी के हाथ में एक सफेद कलर का लेडिज पर्स मिला। जिसमें आरोपिया का ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, गाडी नम्बर आरजे 45 सीपी 9743 की आरसी, एक एटीएम कार्ड, आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी का विभागीय पहचान पत्र, कुल 900/– रूपये तथा एयू बैंक के खाता सं. 1811221418661856 का एक चैक नम्बर 000005 जो तपेश्वर शर्मा के नाम से जारी तथा जिसमें 2,00,000/– रूपये की राशि भरी हुई है, होटल केपीटल की 9600/– रूपये का बिल नम्बर 1253 दिनांक 06.10.2021 पाया गया। उक्त चैक एवं बिल के सम्बंध में आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी से पूछने पर उसने बताया कि उक्त बिल मेरे पिता श्री तपेश्वर जी का है। जो बैंक से रिजेक्टेड है। इस चैक के जरिये मेरे पिताजी अपने खाते में राशि डलवाना चाह रहे थे परन्तु चैक रिजेक्ड होने के कारण मेरे पिताजी ने मुझे इस के बारे मे जानकारी करने के लिये दिया था। जो मेरे पास ही है। होटल केपीटल का बिल मैं मुम्बई ऑफिसियल ट्यूर पर गई थी वहां का है। जो मेरे पर्स में ही पडा है। आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कमारी के पास एक गाडी की चाबी मिली, जिसके बारे में पूछने पर आरोपिया ने बताया कि यह चाबी मेरी गाडी नम्बर आरजे 45 सीपी 9743 की है जो बाहर खडी है। जिस पर आरोपिया से गाडी की चाबी प्राप्त कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरापीया की गाडी की तलाशी ली गई। उक्त गाडी में आरोपिया के कार्यालय/विभागीय कोर्ट केस से सम्बंधित का रिकॉर्ड होना पाया गया तथा कोई भी संदिग्ध राशि/दस्तावेजात होना नहीं पाया गया। आरोपिया श्रीमती सिन्धु कमारी के पर्स में पाये गये उक्त होटल के बिल तथा चेक की फोटो कॉपी करवाये जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपिया के पर्स तथा गाडी में कोई संदिग्ध वस्तु/सामग्री आदि नहीं पाई गई।

तत्पश्चात् मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी को सी माधव फार्मा मेडीकल के निरीक्षण रिपोर्ट तथा परिवादी के कार्य के सम्बंध में पूछताछ करने पर आरोपिया ने बताया कि श्री चेतन प्रकाश एक कैमिस्ट है, मैनें इनकी मेडीकल सर्वानन्द फार्मा का वर्ष 2021 में निरीक्षण किया था जिस कारण मैं इनसें पूर्व से परिचित है आज ये मुझे एनडीपीएस की सूचना देने आये थे। निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में पूछने पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी ने बताया कि औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत निर्देशानुसार निरीक्षण किया जाता है सी माधव फार्मा अल्फाबेटीकली मेरे निरीक्षण क्षेत्र में आता है। अभी तक मैंने वर्ष 2022 में सी माधव फार्मा का निरीक्षण नहीं किया है जो सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाता है। अगस्त 2021 से सी माधव फार्मा मेरे निरीक्षण क्षेत्र में आता है। निरीक्षण के लिये संबंधित फार्मा द्वारा कोई चार्ज/फीस देय नहीं होती है।

आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में प्राप्त की गई है। उक्त यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है। जिस पर यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के काउन्टर पर खडे श्री निखिल गांधी को अपना परिचय देकर पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निखिल गांधी पुत्र श्री भगवानदास गांधी जाति सिंधी उम्र 23 साल निवासी मकान नम्बर 146, सिंधी मोहल्ला, सांभर, जयपुर हाल मकान नम्बर 01/55, नियर क्योरवैल होस्पीटल, एसएफएस मानसरोवर, पुलिस थाना शिप्रापथ, आयुक्तालय जयपुर होना बताकर यूनिक निक्स आउटलेट कैफे का संचालक होना बताया। जिसको यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों के सम्बंध में पूछा तो श्री निखिल ने बताया कि मेरे द्वारा यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है। सभी सीसीटीवी कैमरे सही काम कर रहे है उनमें रिकॉर्डिंग भी चालू है जो भी सीसीटीवी कैमरे में दिनभर में रिकॉर्ड होता है वह सिस्टम में सेव हो रहा है। उक्त सीसीटीवी कैमरों का संचालन तथा रखरखाव मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तत्पश्चात श्री निखिल गांधी द्वारा अपने सीसीटीवी कम्यूटर में आज दिन की रिकॉर्डिग चला कर दिखाई गई जिसमें आरोपिया द्वारा अपने हाथों से स्वंय की उक्त राईटिंग पेड डायरी खोल उसमें परिवादी से रिश्वत रख कर प्राप्त करना पाया गया। जिस पर श्री निखिल को आज की रिकॉडिंग के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज की भी रिकॉडिंग की सेव है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री निखिल से एक नया खाली पेन ड्राईव मंगवाया जाकर आज दिनांक को आरोपिया श्रीमती सिंन्धु कुमारी के यूनिक निक्स आउटलेट कैफे में आने से लेकर अब तक की रिकॉडिंग उपलब्ध कराने बाबत कहा गया। जिस पर श्री निखिल ने बताया कि उक्त समय की चाही गई रिकॉर्डिंग से निकालने में समय की आवश्यकता है मैं थोडी देर में आपको उक्त रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दूंगा। तत्पश्चात परिवादी द्वारा सुपुर्द डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिश्वत राशि आदान–प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। जिसकी फर्द

वार्ता रूपान्तरण तैयार की गई। दौराने कार्यवाही यूनिक निक्स आउटलेट कैफे के बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी है यूनिक निक्स आउटलेट कैफे आम रास्ते पर होकर लोगों की आमद रफत अत्यधिक है जिससे लोगों की भीड़ बढने के कारण से मौके पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने पर की गई कार्यवाही के हालात जरिये दूरभाष उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये तथा उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर आकर सम्पन्न करने के निर्देश दिये प्राप्त होने पर बरामदशुदा रिश्वत राशि 5,000/–रूपये, शिल्डशुदा आर्टिकल्स, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा आरोपिया के कब्जे से बरामद सामान को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। श्री निखिल, संचालक यूनिक निक्स आउटलेट कैफे को सीसीटीवी कैमरों की उक्त रिकॉर्डिंग शीघ्र पेन ड्राईव मे सेव कर ब्यूरो मुख्यालय लेकर आने की हिदायत की गई। चूंकि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर करनी है इसलिये आरोपिया की गाडी नम्बर आरजे 45 सीपी 9743 की चाबी श्री कमलेश कानि. नं. 293 को सुपुर्द कर आरोपिया की गाडी को ब्यूरो मुख्यालय लेकर जाने की हिदायत की गई। परिवादी श्री चेतन प्रकाश को स्वंय की गाडी से ब्यूरो मुख्यालय पंहुचने की हिदायत की गई। मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के आरोपिया श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी को हमराह लेकर मौके से रवाना होकर समय 11:00 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय पहुंची। परिवादी श्री चेतन प्रकाश भी तलविदा स्वंय की गाडी से एवं कानि0 श्री कमलेश नं0 293 भी आरोपीया का उक्त वाहन लेकर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आये। जिस पर आरोपिया के वाहन को ब्यूरो कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाया जाकर लॉक्ड करवाया जाकर उक्त वाहन की चाबी कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर आरोपिया ने बताया कि मैंने चेतन प्रकाश से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है परिवादी चेतन प्रकाश ने ही मेरी राईटींग पेड डायरी में पैसे रखे है जिस पर कार्यालय उपस्थित परिवादी श्री चेतन प्रकाश ने बताया कि मेडीकल सी माधव फार्मा आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी के क्षेत्राधिकार में आता है तथा जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर जाकर बिना निरीक्षण किये ही निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 22.02.2022 को आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी द्वारा मुझ से 15,000/–रूपये की रिश्वत मांग की गई थी। मेरे द्वारा उक्त राशि ज्यादा होना बताने पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी 10,000/–रूपये लेने पर सहमत होकर दौराने सत्यापन ही 5,000/–रूपयें प्राप्त कर लिये तथा शेष के लिये आईन्दा फोन कर बताने के लिये कहा था। आज दिनांक 04.03.2022 को प्रातः आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी ने मुझे फोन करके रिश्वती राशि बीटू बाईपास के क्योरवैल हास्पिटल के सामने ले कर आने के लिये कहा था। मैं जब उक्त हास्पिटल के सामने गया तो आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी बीटू बाईपास एसएफएस चौराहे पर क्योरवैल हास्पिटल के पास बने यूनिक निक्स आउटलेट के सामने खडी थी जिसने मुझे हाथ से ईशारा कर अपने पास बुलाया तथा यूनिक निक्स आउटलेट में बैठ कर मेरे से अपने कार्य के संबंध में वार्ता कर शेष रिश्वत राशि अपनी राईटींग पेड डायरी को खोल कर उसमें रखवा कर प्राप्त की है।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण संगठन, सेठी कोलोनी, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये भ्रष्ट व अवैध तरीके से स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री चेतन प्रकाश से उसके परिचित/रिशतेदार के मेडीकल सी माधव फार्मा का मौके पर जाकर निरीक्षण किये बिना निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने की एवज में 15,000/–रूपये की रिश्वत की मांग करना, उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री चेतन प्रकाश से 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 04.03.2022 को 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पाये जाने से आरोपिया उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। जिस पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने बाबत् लिखित में नोटिस दिया जाकर नमूना आवाज देने या नहीं देने बाबत् लिखित में जवाब प्राप्त किया गया। आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी ने अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में मना किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमापित पाये जाने पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी को उसके जुर्म एवं उसके संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के समक्ष जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने ट्रैप कार्यवाही कोविड–19

महागारी के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं महिला गरिमा की पालना सुनिश्चित की गई। तत्पश्चात घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपिया का सामान व गाड़ी को आरोपिया के कहे अनुसार आरोपिया के परिचिति को सुपुर्द किये गये।

तत्पश्चात श्री निखिल गांधी, संचालक यूनिक निक्स आउटलेट कैफे द्वारा अपने कैफे में सीसीटीवी केमरों का घटना के समय का विडियो एक पेन ड्राईव में डालकर प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त प्रस्तुत पेन ड्राईव को दूसरे खाली पेन ड्राईव में कॉपी कर श्री निखिल गांधरी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव को जरिये फर्द पेशकशी एवं जब्ती के सीलमोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.03.2022 को आरोपिया तथा परिवादी के मध्य रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय हुई वार्ता की स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड, जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.02.2022, तथा रिश्वत राशि आदान प्रदान के समय दिनांक 04.03.2022 को परिवादी एवं आरोपिया के मध्य हुई वार्ताऐं रिकॉर्ड है, को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई।

दिनांक 22.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में रिकॉर्ड वार्ता को सुनने तथा फर्द वार्ता रूपान्तरण दिनांक 25.02.2022 के अवलोकन से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी द्वारा परिवादी को पारीक नामक व्यक्ति को बतौर रिश्वत कुछ दिये जाने के सम्बंध में वार्ता होना पाया गया। जिसकी पुष्टि हेतु परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि सिंधु कुमारी ने कार्यालय औषधी नियंत्रक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में पदस्थापित किसी पारीक नामक कर्मचारी के लिये एक डिनर सेट देने के लिये कह रही है। जिसको मैं नहीं पहचानता हुं। परन्तु सिंधु कुमारी के कहने पर मैंने मेरे मिलने वाले के मार्फत डिनर सेट पहुंचाया था। इस सम्बंध में आरोपिया ने अपनी पूछताछ में बताया कि श्री संजय पारीक मेरे कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थापित है उसने डिनर सेट मंगवाया था जिसके सम्बंध में उक्त वार्ता हुई है। उपरोक्त वार्ता तथा इस सम्बंध में अब तक हुये अनुसंधान से संदिग्ध श्री संजय पारीक द्वारा परिवादी से बतौर रिश्वत डिनर सेट प्राप्त करने की पुष्टि होती है। परन्तु उक्त में संदिग्ध श्री संजय पारीक की भूमिका विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट होगी।

अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण संगठन, सेठी कोलोनी, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये भ्रष्ट व अवैध तरीके से स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री चेतन प्रकाश से उसके परिचित/रिशतेदार के मेडीकल सी माधव फार्मा का मौके पर जाकर निरीक्षण किये बिना निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने की एवज में 15,000/–रूपये की रिश्वत की मांग करना, उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री चेतन प्रकाश से 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 04.03.2022 को 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पाये जाने से आरोपिया उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण संगठन, सेठी कोलोनी, जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(प्रिया व्यास)
पुलिस निरीक्षक,
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती प्रिया व्यास, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण संगठन, सेठी कोलोनी, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 72/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 658-62 दिनांक 5.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

5.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर